दिनांक – 13 अक्टूबर 2020

<u>सूचना</u>

विषय: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20 के तहत चलाए जानेवाले सीएससीएम तथा सीएसएसएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 20 अक्टूबर 2020 तक चालू करने के संबंध में

ज्ञात हो कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने दिनांक 17 अगस्त 2020 को पत्र संख्या F. No. B-12011/01/2016-SDE (Part II जारी कर के निर्देश दिया था कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताई गई सावधानियों को बरतते हुए सभी प्रशिक्षण केन्द्र 21 सितम्बर 2020 से खोले जाने चाहिए। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रशिक्षण केन्द्रों के खुलने के 30 दिनों के भीतर उनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु हो जाने चाहिए।

मंत्रालय के इस पत्र के आलोक में सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे 20 अक्टूबर 2020 से अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य चालू कर दें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ की पुष्टि के तौर पर प्रशिक्षण केन्द्रों को स्किल इंडिया पोर्टल पर जाकर सभी चालू बैचों के साथ के क्लिकरैप को क्लिक करना होगा। तभी उन बेचों का प्रशिक्षण आरंभ माना जा सकेगा।

अगर संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता ऐसा कर के उन बैचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को चालू करने की पुष्टि समय रहते नहीं करते हैं तो वे बैच स्किल इंडिया पोर्टल से हटा दिए जाएंगे और उन तमाम बैचों को रद्द माना जाएगा।

टिप्पणी: यह अधिसूचना छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगी, जहां प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इन राज्यों में प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से खोलने के लिए संबंधित राज्यों के अधिकारियों द्वारा औपचारिक अधिसूचना / आदेश जारी किए जाने के बाद इन राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू किए जा सकेंगे।